



न्यायालय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी - गौरव बांकावत आर.ए.ए.ए.)

वाद संख्या:- 2008/155 (पुराना वाद संख्या : 202/2004)

1. रामनाथ पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. मंगली बेवा नानगा जाति मीणा निवासी ग्राम-दोंतली चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर। (मृतक दौराने दावा)
1/1 गंगाराम पुत्र नानगा
1/2 हनुमान पुत्र नानगा
समस्त जाति मीणा निवासी दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
1/3 लाडा देवी पुत्री स्व० नानगा पत्नि गोरधन निवासी-खातीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र नानगा (मृतक दौराने दावा)
2/1 राजूलाल पुत्र भगवान सहायक
2/2 गोपाल पुत्र भगवान सहाय
2/3 कानाराम पुत्र भगवान सहाय
2/4 लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० श्री भगवान सहाय
समस्त जाति मीणा निवासी दोंतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती लादी बेवा ग्यारसा
4. कजोड पुत्र ग्यारसा
5. छोडू पुत्र ग्यारसा
समस्त जाति मीणा निवासी दोंतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. मु० भौरी बेवा कल्याण (दौराने वाद मृतक नाम हजफ)
7. जगदीश नारायण पुत्र कल्याण
8. प्रभूनारायण पुत्र कल्याण
9. लालाराम पुत्र कल्याण
10. जगदीश पुत्र रामनाथ
11. भगवान सहाय पुत्र रामनाथ
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण

वादी : श्री राजकुमार पारिक, श्री प्रहलाद बागड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 :- श्री नरेश कुमार जैन, श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

दावा बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—18.07.2025

वादी की ओर से वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया जिसका वृत्तान्त विवरण निम्न प्रकार से है :- भूमि गत खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 13 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा राजस्व ग्राम दाँतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है बन्दोवस्त के पश्चात् भूमि खसरा के 11 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के नये नम्बर खसरा नम्बर 14 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 15/1179 रकबा 0.06 हेक्टर कुल रकबा 0.74 हेक्टर। भूमि खसरा नम्बर 12 के नये नम्बर खसरा नम्बर 16 रकबा 0.36 हेक्टर, गत खसरा नम्बर 13 के नये नम्बर 17 बैन्वल रकबा 0.37 हेक्टर बनाये गये। इस मद में वर्णित भूमि को आगे चलकर विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के रामनाथ, महादेव पिसरान चन्दा जाति हरियाणा ब्राह्मण खातेदार काश्तकार थे जिससे वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खसरा नम्बर 11 में से 1/2 हिस्से की भूमि क्रय कर ली तथा सक्षम प्राधिकारी ने जरिये नामान्तरकरण द्वारा खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम अंकित कर दी तथा भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 13 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। बन्दोवस्त के पश्चात् खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा के बन्दोवस्त के पश्चात् नये खसरा नम्बर 14 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 15/1179 रकबा 0.06 हेक्टर खसरा नम्बर 16 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.37 हेक्टर कायम किए गये। बन्दोवस्त कार्यवाही के पश्चात् बन्दोवस्त विभाग ने खतौनी बन्दोवस्त में वादी को खसरा नम्बर 14 रकबा 0.31 हेक्टर खसरा नम्बर 15 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 15/1179 रकबा 0.06 हेक्टर कुल रकबा 0.764 हेक्टर का खातेदार काश्तकार अंकित किया। गत खसरा नम्बर 11 का रकबा 0.82 हेक्टर था जो बन्दोवस्त के पश्चात् 0.74 हेक्टर अंकित कर दिया जो बन्दोवस्त के पूर्व रकबा से 0.08 हेक्टर कम है तथा गत खसरा नम्बर 12, 1 बीघा 12 बिस्वा अर्थात् 0.41 हेक्टर था जो बन्दोवस्त के पश्चात् 0.36 हेक्टर कर दिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 13 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा अर्थात् 0.40 हेक्टर था जो बन्दोवस्त के पश्चात् 0.37 हेक्टर कर दिया अर्थात् 0.03 हेक्टर कम अंकित कर दिया। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने वादी की खातेदारी में से लगभग 16 ऐयर रकबा की कमी अंकित कर दी जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। बन्दोवस्त विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के नाम उनमें निहित अधिकारों से अधिक भूमि का अंकन कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

लगायत 11 के नाम जो खसरा नम्बर 13 व 07 बनाये गये उसमें वादी की भूमि सम्मिलित करदी तथा नक्शे में भी गलत तरमीम अंकित करदी जो हाल खसरा नम्बर 7 व 13 बनाये गये हैं वह भूमि वादी के कब्जे व खातेदारी की भूमि है जो नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट है अर्थात् जो भूमि वादी के खाते में दर्ज करनी चाहिए थी वह भूमि प्रतिवादी सं 1 लगायत 11 के नाम दर्ज करदी गयी। उपरोक्त अंकन अधिकार विहीन, आधार विहीन व क्षेत्राधिकार विहीन है। भू-राजस्व अधिनियम के तहत बन्दोवस्त विभाग को न तो किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार समाप्त करने का अधिकार हैं और न ही किसी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान करने के अधिकार है। मौजूदा प्रकरण में बन्दोवस्त विभाग ने वादी की लगभग 0.16 हैक्टर भूमि के अधिकार समाप्त कर दिए और उक्त भूमि का अंकन प्रतिवादी संख्या -1 लगायत 11 के नाम अंकित कर दिया। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के व बिना किसी आधार के इन्द्राजात किए जो बमुकाबले बातिल, बेअसर व शून्य प्रभावी इन्द्राजात हैं। कानूनन बन्दोवस्त विभाग को बन्दोवस्त कार्यवाही पश्चात् 1.22 हेक्टर भूमि अंकित करनी चाहिए थी जिन्होंने ऐसा नहीं कर राजस्व कानून की घोर अवहेलना की है एवम् अधिकार विहीन इन्द्राज किए हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को बन्दोवस्त कार्य समाप्त होने के पश्चात् कथन किया कि चूँकि बन्दोवस्त विभाग ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के अधिकारों के विपरीत खतौनी बन्दोवस्त में इन्द्राजात किए हैं इसलिए वह तहसील में चलकर इन्द्राजात की दुरुस्ती करवाले तथा जिस भूमि पर वादी को अधिकार प्राप्त हैं वादी का नाम अंकित करवादे तथा जिस भूमि पर प्रतिवादी 12 व 13 को अधिकार प्राप्त है वह प्रतिवादी संख्या-1 के नाम अंकित करवा दे। प्रतिवादी संख्या -1 लगायत 11 पहले तो सहमत हो गये परन्तु उन्होंने अगस्त, 2004 में ऐलानीया इंकार कर दिया कि चूँकि बन्दोवस्त विभाग ने 1 लगायत 11 के नाम से भूमि अंकित की है इसलिए इन्द्राजात को कभी भी दुरुस्त नहीं कराया जायेगा, क्योंकि इन इन्द्राजातों से उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। वादी ने प्रतिवादी 1 लगायत 11 से कथन किया कि केवल मात्र नक्शे व राजस्व रिकार्ड में बन्दोवस्त विभाग के इन्द्राजात से किसी व्यक्ति को लाभ व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते इस प्रकार पुनः वादी ने अन्य व्यक्तियों की मध्यस्थता में इन्द्राज दुरुस्ती का प्रतिवादी संख्या -1 लगायत 11 को निवेदन किया तथा दिनांक 15.09.2004 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने पूर्ण रूप से इंकार कर दिया कि भूमि हाल खसरा नंबर 13 व 17 पर वे जबरन कब्जा करेंगे तथा नक्शा की तरमीम को भी नहीं हटवायेंगे और न ही राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करवायेंगे। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के विरुद्ध वाद हेतुक दिनांक 15.09.2004 को उत्पन्न हुआ जबकि उन्होंने इन्द्राज दुरुस्ती करने से स्पष्ट इंकार कर दिया।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का दावा स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाए :- दावा वादी डिक्री किया जाकर गत खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये नम्बर 14, 15, 15/1179 रकबा 0.06 हैक्टर कुल रकबा 0.74 हैक्टर में जो 0.8 हैक्टर की कमी अंकित की गयी है उसकी जगह 0.82 हैक्टर अंकित की जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। दावा वादी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर

सहायक जज
जयपुर शहर द्वितीय

12 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिसका रकबा बन्दोवस्त से पूर्व 0.41 हैक्टर था के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करा जाए। खसरा नम्बर 13 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जो बन्दोवस्त से पूर्व 0.40 हैक्टर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर अंकन किया जाए।

दावा वादी डिक्री किया जाकर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या लगायत के के नाम जो हाल खसरा नम्बर 7 व 13 का अंकन किया गया है उसे शून्य प्रभावी घोषित किया जाए तथा जो नक्शा में गलत तरमीम की गयी है उसे दुरुस्त करवाया जाकर बन्दोवस्त से पूर्व की स्थिति कायम की जाए। दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाए कि वादी के हिस्से में आई भूमि 1.22 हैक्टर में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलअंदाजी करें न ही अपने किसी एजेंट सर्वेन्ट इत्यादि से करवायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि : साविका खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के नवीन नम्बर 14 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.37 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 15/1179 रकबा 0.06 हैक्टर तथा साविका खसरा नम्बर 12 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के नवीन नम्बर 16 रकबा 0.36 हैक्टर तथा साविका खसरा नम्बर 13 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के नवीन नम्बर 17 रकबा 0.37 हैक्टर बमुताबिक राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल के अनुसार कायम होना स्वीकार हैं। वास्तविकता के विपरित गलत तथा नियम विरुद्ध होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादी के रकबे में उल्लेखित कमी गौके पर सड़क निकल जाने के कारण हुई हैं, जिससे गैर कानूनी रूप से बन्दोवस्त द्वारा रकबा कम नहीं किया जाना कहा जा सकता है, शेष रकबा का जिस कदर असें दराज से वादी कब्जे काशत में था, उसी कदर आज भी कब्जे काशत में वादी हैं। वादी का यह आरोप कि 16 ऐयर भूमि बन्दोवस्त विभाग ने बिना वजह उसकी कम कर दी, कतैय गलत है। वादी की भूमि सड़क निकल जाने से कम हुई हैं, जैसा कि नक्शे में स्पष्ट बताया है। मिन उत्तरदातागण के खाते व कब्जे की भूमि साविका खसरा नम्बर 2 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के नवीन नम्बर 3 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.12 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 284 मिन रकबा 0.03 हैक्टर कायम किये गये हैं। उत्तरदातागण सदैव से अपने खाते व कब्जे की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। वादी का यह कहना कतैय मिथ्या है कि वादी के खाते व कब्जे में भूमि कमी करके उत्तरदातागण के खाते व कब्जे के नवीन नम्बर 7 व 13 में मिलाकर अंकित कर नक्शे में गलत, तरमीम कर दी है, कतैय गलत है। वास्तव में हाल खसरा नम्बर 7 व 13 की कुल 0.25 हैक्टर भूमि साविका खसरा नम्बर 2 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के कायम नवीन नम्बरान में से हैं। इससे स्पष्ट है कि वादी के साविका खसरा नम्बर 11, 12, 13 के कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा

सहायक न्यायिक अधिकारी
जयपुर शहर द्वितीय

का कोई भाग उत्तरदातागण के रकबे में सम्मिलित नहीं हुआ है, न सम्मिलित किया गया है। उत्तरदातागण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड साबिका रिकार्ड अनुसार ही हैं। वादी ने इसी आशय की पूर्व में 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत दरख्वास्त माननीय न्यायालय के समक्ष मु० सांगानेर में मिन उत्तरदातागण व तहसीलदार सांगानेर के विरुद्ध पेश की थी, उसमें लेण्ड होल्डर तहसीलदार सांगानेर द्वारा मौके व रिकार्ड की जांच कर जवाब पेश कर कहा गया है कि वादी के 0.25 हैक्टर भूमि की कमी सड़क में जाने से हुई है और यह भी कहा गया है कि नवीन खसरा नम्बर 7 व 13 वादी के गत खसरा नम्बर 3, 15, 16, 17 के भाग नहीं हैं और नवीन खसरा नम्बर 7 व 13 गत खसरा नम्बर 2 से बने हैं। इस प्रकार स्पष्ट स्थिति हो जाने के बावजूद भी साबिका प्रार्थना पत्र 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का विचाराधीन होते हुये भी मौजूदा दावा इसी आशय का मिन उत्तरदातागण के विरुद्ध काबिल पेशरफत नहीं है, समैरेली निरस्तनीय है, पूर्व पेश दरख्वास्त 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट वादीगण ने खारिज करवा ली है क्योंकि तहसीलदार जी ने साफ तौर पर भूमि सड़क में चले जाने के कारण कमी होना बताया है। बन्दोबस्त विभाग को साबिका इन्द्राज में परिवर्तन बिना सक्षम न्यायालय के बिना सक्षम आदेश के नहीं करना चाहिये। लेकिन यहां स्पष्ट है कि गत सेटलमेन्ट कार्यवाही के बाद जो सड़क निर्माण हुई है और जितनी भूमि सड़क निर्माण में गई है, उसका इन्द्राज जिसके खाते में से कम हुई है, उसके खाते में कम दर्ज किया जाना नवीन सेटलमेन्ट के बाद लाजिमी हो जाता है। सड़क निर्माण कार्य नियमानुसार किया गया है। उससे नक्शे में जो तरमीम हुई है वहकी गई है उसके अलावा वादी के खाते व कब्जे की भूमि के रकबे को मिन उत्तरदातागण के खाते व कब्जे के रकबे में सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तरदातागण के पास पूर्व में भी 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि कब्जे काश्त में थी व अब भी है। वादी के पास दर्ज रिकार्ड से अधिक अगर बेशी भूमि कब्जे में है और मिन उत्तरदातागण के पास दर्ज रिकार्ड से कम भूमि कब्जे काश्त में है तो उसे नवीन सेटलमेन्ट कार्यवाही में दर्ज रिकार्ड अनुसार बराबर किया गया है, इस प्रकार की कार्यवाही को कानूनन गलत नहीं कहा जा सकता। उत्तरदातागण के खाते व कब्जे की भूमि पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा बनाये रखकर काश्त करने के अधिकृत व्यक्ति हैं। वादी का यह आरोप बन्दोबस्त विभाग पर सरासर गलत व बेबुनियाद है कि बन्दोबस्त विभाग ने साबिका रकबे अनुसार दर्ज नहीं किया। जो कम्पै रकबा दर्ज हुआ है वह सड़क में भूमि चले जाने के कारण हुआ है। इस कारण बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही सही व दुरुस्त है। उत्तरदातागण के पास खाते व कब्जे में पूर्ववत ही आराजी है। मिन उत्तरदातागण के खाते व कब्जे में कोई भूमि बेशी या बिना अधिकार के दर्ज नहीं हुई है। साबिका खाते व कब्जे के जो भी नवीन नम्बर कायम हुये, उनकी खातेदारी मिन उत्तरदातागण के नाम दर्ज हुई है। मिन उत्तरदातागण ने वादी को कभी यह आश्वासन या कथन नहीं किया है कि वह बन्दोबस्त कार्यवाही के बाद वापिस वादी के रकबे को पूरा कराने की कार्यवाही करेंगे, वादी के खाते व कब्जे में नवीन नम्बर 7 व 13 जो साबिका खसरा नम्बर 2 से बने हैं, का रकबा सही रूप से दर्ज किया है, साबिका रिकार्ड दर्ज के अनुसार ही रकबा नपत कर नक्शे की सीमायें साबिका रिकार्ड दर्ज अनुसार कायम की गई हैं। वादी का

सहायक जज
जयपुर शहर द्वितीय

15-9-2004 का वाक्या मात्र दावा पेश करने के लिहाज से तहरीर किया गया है, इस तरह का वाक्या 15-9-2004 को नहीं हुआ है, साबिका खसरा नम्बर 2 से कायम दीगर नवीन नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 7 व 13 पर मिन उत्तरदातागण कब्जा बनाये रखने के अधिकृत व स्वीकृत व्यक्ति हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण पर तथाकथित तारीख को जो आरोप लगाया है वह मनगढन्त है, उत्तरदातागण ने कभी इस प्रकार की वार्ता या आश्वासन वादी को नहीं दिया, क्योंकि वादी के खाते व कब्जे में जितनी भूमि कानूनन थी व होनी चाहिये वहीं भूमि अभी भी है। उत्तरदातागण के खाते व कब्जे में वादी की कोई भूमि नहीं आई है। इस लिहाज से वाद समैरेली निरस्तनीय हैं। दिनांक 15-9-2004 को मिन उत्तरदातागण के खिलाफ कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ। दिनांक 15-9-2004 के काफी अर्से पूर्व से ही वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष 3-11-2000 को ही 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की दरखास्त मु० सांगानेर में पेश कर दी थी जिससे भी वर्तमान दर्ज आरोप तहरीर किये गये, इस लिहाज से मौजूदा दावा गलत व वेग तथा भियाद बाहर होने के कारण समैरेली निरस्तनीय हैं, एक ही इस्तदुआ को लेकर अलग अलग कार्यवाही करना महज उत्तरदातागण को हैरान व परेशान करना है, इस लिहाज से भी दावा निरस्तनीय हैं।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद ाय खर्चा विशेष खारिज किया जावे। समर्थन में शपथ पत्र प्रतुत हैं।

प्रतिवादी संख्या 12 व 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 12, 13, व 14 को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब दावा का अवसर बंद किया गया।

वाद में तनकीयात कायम की गई। जो निम्न है :-

1. आया विवादग्रस्त भूमि में बन्दोवस्त विभाग ने वादी के खातेदारी में 0.16 है० भूमि कम अंकित है जिसे दुरुस्त करवाकर वादी खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी है ?


सत्यमेव जयतेजिम्मे वादी

2. आया भू-प्रबन्ध विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम उनमें निहित अधिकारीके अधिक भूमि अंकन कर दिया जिसमें वादी की भूमि सम्मिलित कर दिया जिसे वादी दुरुस्त करवाने का अधिकारी है ?

.....जिम्मे वादी

3. आया हाल खसरा नंबर 7 व 13 वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है ?

.....जिम्मे वादी


सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय



4. वादी के रकबे में जो कमी हुई है वो वादी की खातेदारी में से सड़क निकल जाने के कारण हुई है भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किये गये हैं वो सही हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी

5. आया दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है ?

.....जिम्मे प्रतिवादी

6. अन्य!

तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई।
वादी की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :-

क्र.सं.	साक्षी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	विशेष विवरण
पीडब्ल्यू 1	रामनाथ मीणा	हीरालाल मीणा	ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर	जिरह अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 द्वारा की गई।
पीडब्ल्यू 2	परमानन्द जामडोलिया	डालुराम जामडोलिया	ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर	
पीडब्ल्यू 3	कालू मीणा	नारायण मीणा	ग्राम दांतली पोस्ट दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर	
पीडब्ल्यू 4	सीताराम मीणा	नानगराम मीणा	ग्राम चतरपुरा पोस्ट दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर	
पीडब्ल्यू 5	शंकरलाल मीणा	देवनारायण मीणा	ग्राम दरवानों की ढाणी, गोनेर लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर	

प्रतिवादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :-

क्र.सं.	साक्षी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	विशेष विवरण
डीडब्ल्यू-1	हनुमान	नानगा	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर	जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।
डीडब्ल्यू-2	जगदीश नारायण	कल्याण	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर	

.....
.....
.....

डीडब्ल्यू-3	श्योंजीराम	भौरीलाल	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर
डीडब्ल्यू-4	जगदीश	महादेव	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर
डीडब्ल्यू-5	बाबूलाल	श्योंजीराम	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर
डीडब्ल्यू-6	रूपनारायण	भैरू	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अपने वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये :-

प्रदर्श संख्या	विवरण
प्रदर्श-पी1	खतौनी बन्दोबस्त सेटलमेन्ट 2015 से 2034
प्रदर्श-पी2	मिलान क्षेत्रफल
प्रदर्श-पी3	जमाबंदी हाल खसरा नंबर 14, 15, 15/1179
प्रदर्श-पी4	जमाबंदी हाल खसरा नंबर 3 लगायत 7 व 13
प्रदर्श-पी5	जमाबंदी हाल खसरा नंबर 8, 16, 17
प्रदर्श-पी6	नक्शा ट्रेस सम्वत् 1985
प्रदर्श-पी7	नक्शा ट्रेस सम्वत् 2040

अपने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये :-

प्रदर्श संख्या	विवरण
प्रदर्श-ए1	प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2059-2062
प्रदर्श-ए2	प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल
प्रदर्श-ए3	प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2023-2026
प्रदर्श-ए4	प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा मोमियाशीट
प्रदर्श-ए5	प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस लगायत
प्रदर्श-ए6	प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय पत्रावली क्रमांक 202/2004 उनवानी रामनाथ बनाम मंगली व अन्य
प्रदर्श-ए7	राजस्थान सरकार जवाब

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस वादपत्र पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :-

सहायक जज
जयपुर शहर द्वितीय

1. तनकी नंबर 1 : आया विवादग्रस्त भूमि में बन्दोबस्त विभाग ने वादी के खातेदारी में 0.16 है० भूमि कम अंकित है जिसे दुरुस्त करवाकर वादी खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी हैजिम्मे वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने इसे सिद्ध करने के लिए बन्दोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 का भू-प्रबंध विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी-2 के रूप में अंकित करवाकर प्रस्तुत किया और कानि किया कि गत खसरा नंबर 11, 12 व 13 के नये बने खसरे व उनका रकबा निम्नानुसार है :-

गत खसरा	रकबा	वर्तमान खसरा	रकबा
11	3 बीघा 5 बिस्वा	14 15 15/1179	0.31 है० 0.37 है०, 0.06 है०
12	1 बीघा 12 बिस्वा	16	0.36 है०
13	1 बीघा 12 बिस्वा	17	0.37 है०

उक्त मिलान क्षेत्रफल के द्वारा वादी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वादी के गत खसरा नंबर 11, 12 व 13 जिनका सम्मिलित रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा था जिनको बन्दोबस्त के पश्चात् रकबा 1.63 हैक्टेयर होना चाहिए था जबकि यह 1.47 हैक्टेयर कर दिया गया। इस प्रकार वादी के तीनों गत खसरा नंबरान से जो नये खसरे कायम हुए उनमें सम्मिलित रूप से वादी के खातेदारी की भूमि में से 16 एयर की कमी बन्दोबस्त के दौरान कर दी गई। वादी अपने द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि वादी की खातेदारी भूमि में 16 एयर की कमी हुई है। इस तथ्य का प्रतिवादीगण ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया है। अतः वादी इस तनकी को आंशिक रूप से "आया विवादग्रस्त भूमि में बन्दोबस्त विभाग ने वादी के खातेदारी में 0.16 है० भूमि कम अंकित की है" की हद तक सिद्ध करने में सफल रहा है। किन्तु इस तनकी के अगले भाग "जिसे दुरुस्त कराकर वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।" की सिद्धि या असिद्धि अगली तनकियों के निर्णय पर निर्भर रहेगी। अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में व विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2 : आया भू-प्रबन्ध विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम उनमें निहित अधिकारीके अधिक भूमि अंकन कर दिया जिसमें वादी की भूमि सम्मिलित कर दिया जिसे वादी दुरुस्त करवाने का अधिकारी है जिम्मे वादी

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

तनकी नंबर 3 : आया हाल खसरा नंबर 7 व 13 वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है।जिम्मे वादी।

तनकी नंबर 2 व 3 का निर्णय साथ में किया जा रहा है। तनकी नंबर 2 व 3 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इसको सिद्ध करने के लिए भी वादी ने अपनी बहस एवम् वादपत्र में बन्दोबस्त (1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009) का भू-प्रबंध विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी-2 के रूप में अंकित करवाकर प्रस्तुत किया। इस प्रदर्श के माध्यम से वादी ने यह कथन किया कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी का गत खसरा नंबर 2 था जिसका रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा था जिसके बन्दोबस्त के पश्चात नवीन खसरा नंबर 3 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 4 रकबा 0.89 है0, खसरा नंबर 5 रकबा 0.85 है0, खसरा नंबर 6 रकबा 0.93 है0, खसरा नंबर 7 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 13 रकबा 0.12 है0, एवं खसरा नंबर 284 मिन रकबा 0.03 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 2.96 हैक्टेयर बने। एवं मिलान क्षेत्रफल में ही प्रतिवादीगण के गत खसरा नंबर 2 के नये खसरा नंबरान में ही 0.76 बेशी गत रकबा बरारी से अंकित किया हुआ है। इस आधार पर वादी का कहना है कि उसके रकबे में जो 16 एयर की कमी की गई है वह प्रतिवादीगण के नये खसरे नंबर 7 रकबा 0.13 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 13 रकबा 0.12 हैक्टेयर बनाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई है उक्त मिलान क्षेत्रफल के अतिरिक्त वादी ने अपने कम किए गये 16 एयर के रकबे के प्रतिवादीगण के खसरा नंबरान 7 एवं 13 में दर्ज होने को सिद्ध करने के लिए प्रदर्श पी-6 (नक्शा ट्रेस सम्बत् 1985) एवं प्रदर्श पी-7 (नक्शा ट्रेस सम्बत् 2040) प्रस्तुत किये एवं इस नक्शे में भिन्नता के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वादी के कम किए गए रकबे में से ही प्रतिवादीगण के खसरे नंबर 7 एवं 13 बनाये गए हैं जिन्हें वादी के नाम अंकित किया जाना चाहिए। वादी ने कथन किया कि प्रतिवादीगण का गत खसरा नंबर 2 एवं 11 की सीमा सीध में नहीं थी जबकि नक्शा ट्रेस सम्बत् 2040 में यह सीमा सीधी करके अन्तराल में नया खसरा नंबर 7 बना दिया गया है जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार गत खसरा नंबर 2 एवं 11 की सीमा रेखा को सीधी करके नया खसरा नंबर 13 बनाया गया जो कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया।


उक्त के अतिरिक्त अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के पैरा संख्या 1 एवं वादपत्र की मद संख्या संबंध में लाइली के कारण अस्वीकार बताया है गलत नहीं बताया है और

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

"Lack of Knowledge is no defence when one is beneficiary of that incidence" इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के पैरा संख्या 4 में यह कथन किया है कि वादी के रकबे में कमी भूमि में से सड़क निकल जाने के कारण हुई है। जबकि वादी ने अपने एक अन्य दावे रामनाथ बनाम कल्याण (वाद संख्या : 156/2008) के पैरा संख्या 11 में स्पष्ट अंकन किया है कि सड़क का नए खसरा नंबर 284 कायम किया गया है जिसमें गत खसरा नंबर 3 की 0.25 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित की गई है। गत खसरा नंबर 3 वादी व प्रतिवादीगण का शामिल था। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि जवाबदावे का पैरा संख्या 5 Confusingly drafted है। साथ ही अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो ने उनसे हुई जिरह में कोई मेरे वाद से विरोधाभासी बात नहीं कही है। अधिवक्ता वादी ने डीडब्ल्यू-1 हनुमान पुत्र नानगा से उनके द्वारा की गई जिरह में हनुमान ने कथन किया कि कच्चे रास्ते की चौड़ाई कितनी थी यह मुझे मेरे पिता ने कभी नहीं बताया। इसके अतिरिक्त हनुमान ने जिरह के दौरान कहा कि 0.76 बेसी गत रकबा बरारी से प्रदर्श ए-2 में लिखा है जो सही है। इसके अतिरिक्त डीडब्ल्यू-1 हनुमान ने जिरह के दौरान यह भी कहा कि यह सही है कि प्रदर्श ए-5 में जो सीमा की लाई है वो खसरा नंबर 11 की लाईन से सीधी नहीं मिल रही है। प्रदर्श ए-4 में यह बात सही है कि खसरा नंबर 7 की लाईन हाल खसरा नंबर 13, 14 15/1179 से सीधी मिलान कर रही है। प्रदर्श ए-4 में सीमा जोड़ तिरछा आ रहा है तथा रामनाथ की जमीन की तरफ झुकाव है। यह बात सही है कि जमाबंदी में हमारे चढ़ी हुई है उतना हमारा कब्जा नहीं है।

इसी प्रकार अधिवक्ता वादी ने डीडब्ल्यू जगदीश नारायण पुत्र कल्याण, रूपनारायण पुत्र भैरु एवं श्योजीराम पुत्र भौरीलाल से हुई जिरह को बताते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण का कोई भी साक्ष्य जवाबदावे का समर्थन न कर मेरे दावे का ही समर्थन कर रहे हैं और कब्जा भी मेरा ही बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि भू-प्रबंध विभाग को रकबे में कमी या बेसी का अधिकार नहीं है।

इसी तनकी पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि वादी ने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यह बात सही है कि वादी की भूमि कम हुई है परन्तु यह चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में कम हो सकती थी जबकि वादी ने केवल


सहायक जलकेंद्र
जयपुर शहर द्वितीय

प्रतिवादीगण के खसरो में ही अपनी कम हुई भूमि शामिल होने का सारहीन दावा किया है। वादी को अपने दावे को सिद्ध करने के लिए चार दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक है - (1) पुरानी जमाबंदी (भू-प्रबंध से पूर्व की), (2) पुराना नक्शा (3) मिलान क्षेत्रफल एवं (4) नई जमाबंदी। इनमें से वादी ने पुराने खसरो की जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है जिससे उनका अधिकार ही सिद्ध नहीं होता है। वादी द्वारा जो प्रदर्श पी-1 खतौनी बन्दोबस्त भू-प्रबंध सम्बत् 2015-2034 प्रस्तुत किया गया है उसमें खातेदार के रूप में उन विक्रेताओं के नाम अंकित है जिनसे वादी ने वादग्रस्त आराजीयात खरीदी है। मिलान क्षेत्रफल जो प्रदर्श पी-2 अंकित करवाया गया है वह कोई Record of Right नहीं है। प्रदर्श पी-6 में जो डॉटेड लाईन है वो रास्ता है जिसकी दूसरी तरफ भी वादी की भूमि है। रकबा किसी भी तरफ कम हो सकता है। पगडंडी में परिवर्तन भी पी-6 एवं पी-7 में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने आगे कथन किया कि वादी को बन्दोबस्त से पूर्व व पश्चात् के नक्शे को एक दूसरे पर Superimpose करके या फिर राजस्व दस्तावेज से अपने दावे को सिद्ध करना चाहिए था जो कि वादी ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वादी की भूमि में मौके पर कोई कमी नहीं हुई है।

आगे बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-2 (मिलान क्षेत्रफल) में प्रतिवादीगण के खसरा नंबरान में 0.76 हैक्टेयर बेसी का अंकन गणना के अनुसार भी गलत अंकन है। प्रतिवादीगण का गत खसरा नंबर 2 था जिसका रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा था जिसके जो नये खसरा नंबर बने उनका सम्मिलित रकबा 2.96 हैक्टेयर है जो कि मिलान क्षेत्रफल में भी अंकित है। 11 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् 230 बिस्वा को हैक्टेयर में बदलने पर 2.88 हैक्टेयर ही बनते हैं एवं मिलान क्षेत्रफल में 2.96 हैक्टेयर का अंकन है जिसमें से भी खसरा नंबर 284 मिन भी बना है जिसका रकबा 0.03 है। है जो कि सड़क का खसरा है। इस प्रकार वास्तविक रूप से तो प्रतिवादीगण के नए खसरो का कुल रकबा 2.93 हैक्टेयर ही बना है। अतः स्पष्ट है कि वादी का दावा कि उनका 16 एयर का कम कर दिया गया रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया है स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श पी-2) से ही खारिज हो जाता है। इसी आशय की पूर्ण में 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत दरखास्त माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर में मिन उत्तरदातागण एवं तहसीलदार सांगानेर के विरुद्ध पेश की थी, उसमें लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगानेर द्वारा मौके व



सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

रिकॉर्ड की जाँच कर जवाब पेश कर कहा गया है कि वादी के 0.25 हैक्टेयर भूमि की कमी सड़क में जाने से हुई है और यह भी कहा गया है कि नवीन खसरा नंबर 7 व 13 वादी के गत खसरा नंबर 3, 15, 16, 17 के भाग नहीं है और नवीन खसरा नंबर 7 व 13 गत खसरा नंबर 2 से बने हैं। इस हेतु प्रतिवादीगण ने प्रदर्श ए-6 (प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय पत्रावली क्रमांक 202/2004 उनवानी रामनाथ बनाम मंगली व अन्य) एवं प्रदर्श ए-7 (राजस्थान सरकार का जवाब) अंकित करवाकर प्रस्तुत किया है।

इसके आगे अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किया कि रकबा बरारी में लाईन सीधी करना भी शामिल है। वादी ने सम्पूर्ण भूमि का Record of Right जानबूझकर पेश नहीं किया है। जबकि हमने अपनी खातेदारी की भूमि का पुराना रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2023-26 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए-3 एवं जमाबंदी संवत् 2059-2062 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए-1 के रूप में अंकित करवाकर प्रस्तुत की है। इन दोनो जमाबंदीयो के अवलोकन मात्र से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रदर्श ए-3 अर्थात् जमाबंदी सम्वत् 2023-26 में प्रतिवादीगण के समस्त खसरे कुल किता 7 थे जिनका सम्मिलित रकबा 21 बीघा था जो कि प्रदर्श ए-1 अर्थात् जमाबंदी सम्वत् 2059-2062 में 5.23 हैक्टेयर हो गया, जबकि 21 बीघा का रकबा 5.25 हैक्टेयर होना चाहिए। इस प्रकार मेरी तो स्वयं की भूमि में 2 एयर की कमी हुई है।

इस प्रकार वादी तनकी नंबर 2 व 3 को तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः यह तनकीयो प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं विरुद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी नंबर 4 : वादी के रकबे में जो कमी हुई है वो वादी की खातेदारी में से सड़क निकल जाने के कारण हुई है भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किये गये हैं वो सही हैं।जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इसे सिद्ध करने के लिए अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के पैरा संख्या 5 का बहस के दौरान अभिवचन करते हुए बताया कि वादी ने इसी आशय की पूर्व में 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत दरखास्त माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर में मिन उत्तरदातागण एवं तहसीलदार सांगानेर के विरुद्ध पेश की थी, उसमें लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगानेर द्वारा मौके व रिकॉर्ड की जाँच कर जवाब पेश कर कहा गया है कि वादी के 0.25 हैक्टेयर भूमि की कमी



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सड़क में जाने से हुई है और यह भी कहा गया है कि नवीन खसरा नंबर 7 व 13 वादी के गत खसरा नंबर 3, 15, 16, 17 के भाग नहीं है और नवीन खसरा नंबर 7 व 13 गत खसरा नंबर 2 से बने हैं। इस हेतु प्रतिवादीगण ने प्रदर्श ए-6 (प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय पत्रावली क्रमांक 202/2004 उनवानी रामनाथ बनाम मंगली व अन्य) एवं प्रदर्श ए-7 (राजस्थान सरकार का जवाब) अंकित करवाकर प्रस्तुत किया है। प्रदर्श ए-7 में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर के जवाब में स्थिति स्पष्ट हो जाने तथा जीतने की संभावना न होने को देखते हुए वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत पूर्व दरखास्त 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट खारिज करवा ली है। क्योंकि तहसीलदार जी ने साफ तौर पर भूमि सड़क में चले जाने के कारण कमी होना बताया है।

उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादीगण इस तनकी को कि "वादी के रकबे में जो कमी हुई है वो वादी की खातेदारी में से सड़क निकल जाने के कारण हुई है, भू-प्रबंध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किए गए है वो सही है।" सिद्ध करने में पूर्णतया एवं स्पष्ट रूप से सफल रहे हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं विरुद्ध वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी नंबर 5 : आया दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है ...

जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी का दावा अपने गत खसरा नंबर 11, 12, 13 जिनका कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा के नए बने खसरा नंबरान् 14, 15, 15/1179, 16, एवं 17 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर को लेकर था जिसमें वादी ने कथन किया था कि इसका परिवर्तित रकबा 1.63 हैक्टेयर होना चाहिए था जबकि बन्दोबस्त के दौरान भू-प्रबंध विभाग ने इसके रकबे में 16 एयर की कमी करते हुए इसे 1.47 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया और कम हुए रकबे में से नए खसरा नंबर 7 रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 13 रकबा 0.13 हैक्टेयर कायम कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिए गए। परन्तु इस दावे की सिद्धि के लिए वादीगण को तनकी संख्या 2 को सिद्ध करना था एवं साथ ही प्रतिवादीगण का तनकी संख्या 4 को सिद्ध कर पाने में असफल रहना भी वादी के दावे की सिद्धि के लिए आवश्यक था। किन्तु जैसा की पूर्व तनकीयात के निर्णय से स्पष्ट है कि वादी तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने में असफल रहा है जबकि प्रतिवादीगण तनकी संख्या 4 को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करने में

सहायक जज
जयपुर शहर द्वितीय


पूर्णतया सफल रहे हैं। इसी आधार पर प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में सफल रहे हैं कि "वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है।"

अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवे विरुद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

आदेश

तनकी नंबर 1 से 5 के निर्णय अनुसार वादी का वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक क्लर्क
जयपुर शहर द्वितीय

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकद्दमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व
इजलास गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

रामनाथ बनाम मंगली व अन्य

दावा बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकद्दमा नम्बर - दावा/2008/155

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी
मिनजानिब मुद्दई रुबरू प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया
जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तनकी नंबर 1 से 5 के निर्णय अनुसार वादी का वादी का वाद खारिज
किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग बाबत्
.. खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज
की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.07 2025 को जारी
की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर
ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय